

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नोवेल कोरोना वायरस 2019 (COVID-19) – व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment- PPE) के तर्कसंगत उपयोग हेतु दिशा-निर्देश

1. दिशा-निर्देश के बारे में

यह दिशा-निर्देश स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तथा अन्य व्यक्ति के लिए है जो फ्रंटलाइन, क्वारेन्टाइन केन्द्र, चिकित्सालय, प्रयोगशाला, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल/समुदाय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इस दस्तावेज में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के उपयोग विभिन्न प्रकार कैसे किया जाता है, जिसका विवरण दिया गया है।

2. प्रस्तावना

कोरोना वायरस, वायरस समूह में एक बड़ा परिवार है, बीमारी के कुछ कारण व्यक्तियों तथा जानवरों में मिलते हैं जिसमें ऊंट, बिल्ली तथा चमगादड़ शामिल हैं। शायद ही कभी कोरोना वायरस जानवरों से व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। यह वायरस व्यक्तियों के बीच फैलने पर MERS तथा SARS में देखा गया है। शुरुआत में नोवेल कोरोना वायरस का फैलाव सीफूड बाजार, वुहान सिटी, हुबेई प्रांत, चीन देश के मध्य दिसम्बर 2019 में देखा गया था। अब यह वायरस विश्व के 185 से अधिक देशों में फैल चुका है जिसमें भारत भी शामिल है।

COVID-19 के लिए प्रेरक एजेंट है, पहले इसे अनंतिम रूप में नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता है। अधिकारिक तौर से SARS-CoV-2 नाम दिया गया है।

3. संचरण का माध्यम

यह स्पष्ट प्रमाण है कि SARS-CoV-2 का मानव से मानव संचरण के स्पष्ट प्रमाण है। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति खांसने, छीकने या साँस छोड़ने से उसके श्वसन से उत्पन्न ड्रॉपलेट के माध्यम से संचरण होता है। SARS-CoV-2 का संचरण संक्रमित सतहों तथा वस्तुओं के छूने तथा सीधे छूने से होता है, फिर उनके छूने के बाद स्वयं के नाक, मुँह तथा नाक के छूने से संक्रमण फैलता है। कई देशों में SARS-CoV-2 का संक्रमण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता में पाया गया है।

COVID-19 से सबसे ज्यादा संक्रमित होने का जोखिम है जो COVID-19 मरीज के सम्पर्क में हैं या देखभाल करते हैं।

4. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment)

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (Personal Protective Equipment) को सुरक्षा के लिए इस प्रकार तैयार किये गये हैं जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को जैविक एजेंट से होने वाले खतरे को कम किया जा सके।

4.1 पी.पी.ई के मुख्य घटक

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (Personal Protective Equipment) में शामिल हैं – चश्में, फेश-शील्ड, मास्क, दस्तानें, कवरआल/गाउन (एप्रन के साथ या साथ नहीं)। इसके उपयोग हेतु महत्वपूर्ण घटक और औचित्य निम्नानुसार है–

4.1.1 फेस शील्ड तथा चश्में/गॉगल्स

आँख, नाक और मुँह के श्लेष्म झिल्ली का संदूषण, किसी के खाँसी या छींक से उत्पन्न बूंदों से होती है। यह किसी क्लिनिक में एरोसोल उत्पन्न करने की प्रक्रिया के दौरान खाँसी या छींक आने के दौरान भी होने की संभावना रखता है। अनजाने में एक संक्रमित या दूषित हाथ से आँख, नाक और मुँह को छूना एक अन्य संभावित परिदृश्य है। इसलिए फेस शील्ड तथा चश्में/गॉगल्स का उपयोग करके आँख, नाक और मुँह के श्लेष्म झिल्ली की सुरक्षा, मानक और सम्पर्क सावधानियों का एक अभिन्न अंग है। गॉगल्स/ काले चश्में के लचीले फ्रेम को चेहरे की त्वचा, आँखों और आस-पास के क्षेत्रों को ढकना चाहिए और यहां तक कि दैनिक चश्में को भी पूरी तरह से ढकना चाहिए।

4.1.2 मास्क

श्वसन वायरस जिसमें कोरोनावायरस शामिल है, मुख्य रूप से ऊपरी और निचले श्वसन पथ को लक्षित करते हैं। इसलिए खाँसी या छींक से उत्पन्न बूंदों/एरोसोल द्वारा उत्पन्न कण पदार्थ से वायुमार्ग (सांस नली) की रक्षा करना, मानव संक्रमण को रोकता है। संक्रमित व्यक्ति के खाँसी या छींक से उत्पन्न बूंदों के माध्यम से या संक्रमित हाथ के माध्यम से नाक और मुँह के श्लेष्म झिल्ली का संदूषण भी वायरस को आसानी से उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने देता है। इसलिए COVID-19 के एक संदिग्ध या कन्फर्म्ड केस से निपटने के दौरान यदि एरोसोल पैदा करने वाली प्रक्रियाओं हो रही हो तो, उससे होने वाली खाँसी या छींक से उत्पन्न बूंदों या वायु-जनित रोगों से बचाव के लिए मास्क के प्रयोग जैसी सावधानियां महत्वपूर्ण हैं।

मास्क विभिन्न प्रकार के हैं। कार्मिकों की श्रेणी तथा उनके कार्य के जोखिम के अनुसार मास्क का उपयोग किया जाता है। दो प्रकार के मास्क हैं जिनको कार्मिक की श्रेणी तथा उनके कार्य के जोखिम के अनुसार अनुमोदित किये गये हैं। मास्क का उपयोग चिकित्सालय, समुदाय तथा कार्य पर्यावरण के अनुसार किया जाता है। दो प्रकार के मास्क निम्नानुसार हैं–

1. ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क (त्रिपरतीय चिकित्सीय मास्क)
2. एन-95 रेस्पिरैटर मास्क

4.1.2.1 ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क (त्रिपरतीय चिकित्सीय मास्क)

ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क (त्रिपरतीय चिकित्सीय मास्क) डिस्पोजेबल तथा द्रव प्रतिरोधी मास्क है, जो पहनने वाले को खाँसने/छींकनें/बात करने के दौरान निकलने वाली संक्रामक ड्रॉपलेट से बचाता है।

4.1.2.2 एन-95 रेस्पिरैटर मास्क

एन-95 रेस्पिरैटर मास्क एक श्वसन सुरक्षा उपकरण है जो एअरबोर्न पार्टिकल को उच्च फिल्टरेशन करने की दक्षता रखता है। पहनने वाले को आवश्यक हवा सील प्रदान करता है, मास्क इस प्रकार का डिजाइन किया गया है कि जो चेहरे पर सही प्रकार से फिट हो सकें। इस तरह के मास्क में उच्च द्रव प्रतिरोधी, अच्छी श्वसन क्षमता (एक श्वसन वाल्व के साथ बेहतर), स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य आंतरिक तथा बाहरी चेहरे, डकबिल/कप साइज का डिजाइन होता है मुँह पर लगाने पर कोई परेशानी न हो।

यदि इस मास्क को सही प्रकार से पहना जाये तो इसकी फिल्टरेशन क्षमता ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क से अधिक होती है। चूंकि यह मास्क ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क से अधिक तथा अच्छी तरह हवा की सील प्रदान करता है। यह इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एअरबोर्न कणों से बचाने की रक्षा करें।

4.1.3 दस्तानें

जब कोई व्यक्ति COVID-19 ग्रस्त व्यक्ति द्वारा संक्रमित सतह/वस्तुओं की छूते है। और फिर वह अपने मुँह, नाक तथा नाक को छूता है तो वह वायरस के सम्पर्क में आ सकता है। संचरण के माध्यम को रोकने तथा देखभाल करते समय दस्तानें का उपयोग करना चाहिए, जब COVID-19 के संदिग्ध/पुष्टि मामलों से संभावित रूप से दूषित वस्तुओं /सतहों को देखभाल करते हों। नाइट्रैइल दस्ताने लेटेक्स दस्ताने से अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे रसायनों का प्रतिरोध करते हैं, जिसमें क्लोरिन जैसे कुछ कीटाणुनाशक भी शामिल हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में लेटेक्स से एलर्जी तथा कॉन्टेक्ट/सम्पर्क से त्वचा की एलर्जी अधिक पाई जाती है। यदि नाइट्रैइल दस्ताने उपलब्ध न हो तो लेटेक्स दस्तानों का उपयोग किया जा सकता है। पाउडर वाले दस्ताने की तुलना में गैर-पाउडर वाले दस्ताने पसंद किए जाते हैं।

4.1.4 कवर अॅल/गाउन/सम्पूर्ण ढकने के लिए

कवर अॅल/गाउन को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के शरीर को वायरस के सम्पर्क से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कवर अॅल/गाउन सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे पूरे शरीर को ढकने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें पीठ और पैरों के निचले हिस्से और कभी-कभी सिर और पूरे पैर भी ढक जाते हैं। चिकित्सा या आइसोलेशन गाउन का डिजाइन सामान्यतः पूरे शरीर को सुरक्षा प्रदान नहीं करता जैसे – पीठ की ओर खुली होती है या सिर्फ पैरों के मध्य हिस्से तक ही ढकते हैं।

उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़ों का उपयोग करके, खॉसी या छींक से उत्पन्न बूंदों से सम्पर्क तथा जोखिम को खत्म करने या कम करने के लिए एक बाधा बनाया जा सकता है। खॉसी या छींक से उत्पन्न बूंदों के सम्पर्क से COVID -19 फैलता है। इससे संदिग्ध या कन्फर्मड किए गए COVID -19 केसों या उनके स्त्राव के करीब (1 मीटर के भीतर) काम करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की रक्षा होगी।

कवर अॅल और गाउन को समान रूप से स्वीकार्य माना जाता है क्योंकि इनमें से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संक्रमण को कम करने में अधिक प्रभावी है, इसके तुलनात्मक सबूतों की कमी है। गाउन को पहनना और उतारना काफी आसान है। जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपचार क्षेत्र में

हो तो एक एप्रन भी गाउन के ऊपर पूरे समय के लिए पहना जा सकता है। कवर ॲल/गाउन उच्च मानक के होते हैं, जो रासायनिक खतरों से बचाने के लिए जैविक रूप से संक्रमित ठोस कणों से सम्पर्क को रोकता है।

4.1.5 शू कवर

शू-कवर को अभेद्य कपड़े का बना होना चाहिए ताकि इसका उपयोग व्यक्तिगत सुविधा, संरक्षण तथा कीटाणुरहित करने में किया जा सके।

4.1.6 हेड कवर

आम तौर पर हेड को ठककर रखना चाहिए। जब आप मरीज को क्लीनिकल देखभाल कर रहे हो तब गाउन का उपयोग करना चाहिए जिसमें हेड कवर का उपयोग करना चाहिए जिसमें सिर तथा गर्दन कवर करता हो। बाल तथा लम्बे बाल हेड कवर में पूरी तरह से ढके हों।

सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का विवरण सलंगनक ए पर उपलब्ध है।

5. पी.पी.ई का तर्कसंगत उपयोग

पी.पी.ई. का उपयोग स्वास्थ्य देखभालकर्ता के जोखिम के अनुसार किया जाना है। पी.पी.ई. का उपयोग निम्नानुसार विभिन्न परिस्थितियों में किया जाना है—

5.1 प्वाइंट ऑफ इन्ट्री (प्रवेश की जगह पर)

| क्रम सं. | सेटिंग / व्यवस्था | गतिविधि | खतरा | अनुमोदित पीपीई | टिप्पणियां |
|----------|---|--|------------|----------------------------------|---|
| 1 | हेल्पडेस्क | यात्रियों को सूचना उपलब्ध कराना | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क दस्ताने | कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाये रखें |
| 2 | आप्रवास काउंटर, सीमा शुल्क तथा हवाई अड्डा सुरक्षा | यात्रियों को सेवा उपलब्ध कराना | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क दस्ताने | कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाये रखें |
| 3 | तापमान रिकार्डिंग स्टेशन | हैंड हेल्ड थर्मल रिकार्डर से तापमान रिकार्ड करना | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क दस्ताने | |
| 4 | एपीएचओ / पीएचओ का होल्डिंग क्षेत्र / आइसोलेसन क्षेत्र | चिकित्सक / नर्सिंग कर्मी के द्वारा साक्षात्कार / क्लीनिकल जांच | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |
| 6 | एपीएचओ का आइसोलेसन क्षेत्र | चिकित्सक / नर्सिंग कर्मी के द्वारा क्लीनिकल जांच | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |
| | | गम्भीर बीमार व्यक्तियों की देखभाल | उच्च खतरा | पीपीई का पूर्ण पूरक | जब एयरोसेल उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अनुमान लगाया जाता है। |
| 7 | सफाई कर्मी | बार बार छुए जाने वाले सतह / फर्श / गंदे कपड़ों की सफाई | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |
| 8 | प्रशासनिक कर्मचारी | प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना | खतरा नहीं | पीपीई नहीं | कोविड-19 मरीज से सम्पर्क नहीं। ऐसे क्षेत्र में नहीं जाये जहां कोविड-19 मरीजों का प्रबंधन हो रहा हो। |

5.2 हास्पिटल सेटिंग / व्यवस्था

5.2.1 ओ.पी.डी. (श्वसन क्लीनिक / अलग स्क्रीनिंग क्षेत्र)#

| क्रम सं. | सेटिंग / व्यवस्था | गतिविधि | खतरा | अनुमोदित पी.पी.ई. | टिप्पणियां |
|----------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| 1. | ट्राइएज क्षेत्र | ट्राइएज रोगी रोगी को तीन सतह | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क | रोगियों को मास्क मिलता है |

| | | | | | |
|----|---|---|------------|--------------------------|---|
| | | वाली या ट्रिपल लेयर मास्क प्रदान करें | | दस्तानें | |
| 2. | स्क्रीनिंग क्षेत्र हेल्पडेस्क / पंजीकरण काउंटर | यात्रियों को सूचना उपलब्ध कराना | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |
| 3. | तापमान रिकार्डिंग स्टेशन | हैंड हेल्ड थर्मल रिकार्डर से तापमान रिकार्ड करना | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |
| 4. | होलिडिंग क्षेत्र / प्रतीक्षा स्थल | नर्सिंग कर्मी / पैरामेडिकल कर्मी के द्वारा रोगियों के साथ बातचीत करना | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | 1 मीटर की न्यूनतम दूरी को निश्चित करना |
| 5. | चिकित्सक का कक्ष | चिकित्सीय / क्लीनिकल / नैदानिक प्रबंधन (डाक्टर, नर्स) | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | एयरोसोल पैदा होने वाली गतिविधियों की मनाही हो |
| 6. | सफाई कर्मी | बार बार छुए जाने वाले सतह / फर्श / गंदे कपड़ों की सफाई | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |
| 7. | छोटे बच्चों तथा वृद्धों के साथ जाने वाले आगंतुक | विभिन्न सेवा प्राप्ति क्षेत्रों में पहुंच को सरल बनाना / मदद करना | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क | रोगी के साथ किसी भी आगंतुक को ओ.पी.डी. में आने की अनुमति न हो। सभी अनुमति प्राप्त आगंतुको को हाथ की स्वच्छता के तरीकों का पालन करना चाहिए |

सभी अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा जैसे बिमारियों के रोगियों के लिए एक अलग ट्राइएज और होलिडिंग क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए। यदि संसाधन की कमी के कारण रोगियों के लिए कोई ट्राइएज या होलिडिंग क्षेत्र नहीं है, तो ऐसे अस्पताल सामान्य ओ.पी.डी. के लिए उपरोक्त मार्गदर्शन का पालन करेंगे।

5.2.2 भर्ती हुए मरीज

| क्रम सं. | सेटिंग / वसवस्था | गतिविधि | खतरा | अनुमोदित पी.पी.ई. | टिप्पणियां |
|----------|---|------------------|------------|-------------------------|--|
| 1. | व्यक्तिगत आइसोलेसन रूम / कोहार्ट आइसोलेसन रूम | क्लीनिकल प्रबंधन | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | रोगी को मास्क लगाना है। रोगी स्थिर है। रोगी एअरोसेल गतिविधि नहीं हैं |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|---|--|
| 2 | आई.सी.यु / क्रिटिकल केयर | गम्भीर देखभाल प्रबंधन | उच्च खतरा | पीपीई के पूर्ण पूरक | जब एयरोसेल उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अनुमान लगाया जाता है। |
| 3 | आई.सी.यु / क्रिटिकल केयर | डेडबाडी पैकिंग | उच्च खतरा | पीपीई के पूर्ण पूरक | |
| 4 | आई.सी.यु / क्रिटिकल केयर | मुर्दाघर में डेडबॉडी का परिवहन करने पर | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क दस्ताने | |
| 5 | स्वच्छता | बार बार छुए जाने वाले सतह / फर्श / गंदे कपड़ों की सफाई | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |
| 6 | अस्पताल का ऐसा क्षेत्र जहां पर नॉन कोविड-19 के मरीजों का प्रबंधन | संक्रमित तथा असंक्रमित मरीजों की देखभाल | मरीज का प्रबंधन के अनुसार | पीपीई, अस्पताल की संक्रमण नियंत्रण नीति के अनुसार | ऐसा क्षेत्र जहां कोविड मरीज से सम्पर्क का जोखिम न हो। न ही कोविड-19 उपचार क्षेत्र में जाकर जोखिम लेना चाहिए। |
| 7 | भर्ती मरीजों के केयर टेकर | | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क दस्ताने | केयरटेकर को हाथों की सफाई का ध्यान रखना है और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है। |

5.2.3 आपातकालीन विभाग

| क्रम सं. | सेटिंग / वसवस्था | गतिविधि | खतरा | अनुमोदित पी.पी.ई. | टिप्पणियां |
|----------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|--|
| 1. | आपातकालीन | आपातकालीन केसों का अटेंड करना | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | रोगी को मास्क लगाना है। रोगी स्थिर है। रोगी एअरोसेल गतिविधि नहीं हैं |
| | | SARI के गम्भीर रोगी को अटेंड करना | उच्च खतरा | पीपीई के पूर्ण पूरक | जब एयरोसेल उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अनुमान लगाया जाता है। |

5.2.4 प्री-हॉस्पिटल (एम्बुलेंस) सेवाएं

| क्रम सं. | सेटिंग / वसवस्था | गतिविधि | खतरा | अनुमोदित पी.पी.ई. | टिप्पणियां |
|----------|------------------|-------------------|-------|-------------------|------------|
| 1. | | वेंटीलेशन के बिना | मध्यम | एन-95 | |

| | | | | | |
|--|--|---|------------|-------------------------------------|---|
| | | मरीज को एम्बुलेंस से किसी नामित चिकित्सालय को स्थानांतरण करना | खतरा | मास्क दस्तानें | |
| | | परिवहन करते समय SARI से ग्रसित मरीज का प्रबंधन | उच्च खतरा | पीपीई के पूर्ण पूरक | जब एयरोसोल उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अनुमान लगाया जाता है। |
| | | एम्बुलेंस को चलाते समय | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क दस्ताने | चालक के द्वारा आपातकालीन में मरीज को शिफ्ट करना |

5.2.5 अन्य सहायक/अधीनस्थ सेवाएं

| क्रम सं. | सेटिंग / बसवस्था | गतिविधि | खतरा | अनुमोदित पी.पी.ई. | टिप्पणियां |
|----------|---------------------|--|---------------|-------------------------|---|
| 1. | प्रयोगशाला | नमूना संग्रह तथा परिवहन | उच्च खतरा | पी.पी.ई. का पूर्ण पूरक | |
| | | नमूने की जांच | उच्च खतरा | पी.पी.ई. का पूर्ण पूरक | |
| 2. | मुर्दाघर | डेडबॉडी हैंडलिंग | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | एयरोसोल पैदा करने की अनुमति नहीं है। शवलेप प्रक्रिया नहीं हो |
| | | शव परीक्षण करते समय | उच्च खतरा | पी.पी.ई. का पूर्ण पूरक | जब तक निर्दिष्ट न हो तब तक शव-परीक्षा (पोस्टमार्टम) न करें |
| 3. | स्वच्छता | COVID के चिकित्सा क्षेत्रों में बार बार छुए जाने वाले सतह/ फर्श/ गंदे कपड़ों की सफाई | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |
| 4. | सीएसएसडी / लॉण्ड्री | COVID रोगियों के कपड़े सम्भालना | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क | |
| 5. | अन्य सहयोगी सेवाएं | प्रशासनिक, आर्थिक, अभियान्त्रिक सुरक्षा आदि | कोई खतरा नहीं | पी.पी.ई. नहीं | COVID रोगियों से सम्पर्क की सम्भावना नहीं है। इनको COVID-19 के चिकित्सा क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए |

5.3 समुदाय व्यवस्था /सेटिंग में स्वास्थ्य कर्मी

| क्रम सं. | सेटिंग / व्यवस्था | गतिविधि | खतरा | अनुमोदित पी.पी.ई. | टिप्पणियां |
|----------|--|----------------------------------|------------|-------------------------------------|---|
| 1. | आशा / ऑगनवाड़ी और अन्य फील्ड स्टाफ / कर्मी | क्षेत्र की निगरानी | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क दस्ताने | कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है। निगरानी टीम पर्याप्त ट्रिपल लेयर मास्क ले जाए, जिससे कि निगरानी के समय पाए गए संदिग्ध केशों को बांटा जा सके |
| 2. | फील्ड जांच करने वाले पर्यवेक्षक स्तर के डॉक्टर | क्षेत्र की निगरानी क्लीनिकल जांच | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |

5.4 क्वाराइन्टाइन सुविधा / व्यवस्था

| क्रम सं. | सेटिंग / व्यवस्था | गतिविधि | खतरा | अनुमोदित पी.पी.ई. | टिप्पणियां |
|----------|---|---|------------|------------------------------|------------|
| 1. | जिन व्यक्तियों को क्वाराइन्टाइन किया गया हो | | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मास्क | |
| 2. | क्वाराइन्टाइन सुविधा केन्द्रों में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा कर्मी | स्वास्थ्य जांच तथा तापमान रिकॉर्डिंग | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मास्क दस्ताने | |
| | | लक्षण दिखाई देने वाले व्यक्तियों की क्लीनिकल जांच | मध्यम खतरा | एन-95 मास्क दस्तानें | |
| 3. | सहायक कर्मी | | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मास्क दस्ताने | |

5.5 होम (घर पर) क्वाराइन्टाइन

| क्रम सं. | सेटिंग / व्यवस्था | गतिविधि | खतरा | अनुमोदित पी.पी.ई. | टिप्पणियां |
|----------|---|---|------------|-------------------|---|
| 1. | जिन व्यक्तियों को क्वाराइन्टाइन किया गया हो | | निम्न खतरा | ट्रिपल लेयर मास्क | |
| 2. | मनोनीत परिवार के सदस्य | क्वाराइन्टाइन किए गए व्यक्तियों की देख-रेख करते हैं | निम्न खतरा | दस्ताने | बार बार छुए जाने वाले सतह की सफाई और गंदे कपड़ों को संभालना |

| | | | | | |
|----|-------------|--|---------------|-------------------------|--|
| 3. | अन्य परिवार | | कोई खतरा नहीं | पी.पी.ई. की ज़रूरत नहीं | होम क्वाराइनटाइन किए गए व्यक्ति से 1मीटर की दूरी बनाए रखना। वरिष्ठ नागरिक होम क्वाराइनटाइन किए गए व्यक्तियों से दूर ही रहे |
|----|-------------|--|---------------|-------------------------|--|

पी.पी.ई. का प्रयोग करते हुए, ध्यान देने योग्य बातें:-

1. पी.पी.ई. सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों जैसे हाथ की स्वच्छता, श्वसन शिष्टाचार का विकल्प नहीं है। हाथ की स्वच्छता, श्वसन शिष्टाचार आदि का हमेशा पालन किया जाना चाहिए।
2. कन्फ़र्म्ड या संदिग्ध या रोगी के सम्पर्क में आए हुए COVID – 19 के रोगियों से हो सके तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना।
3. हमेशा MoHFW की वेबसाइट पर उपलब्ध संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के दिशा निर्देशों में पी.पी.ई. के निपटान के लिए दिए गए प्रोटोकॉल का पालन करें।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment) – विवरण
(सम्पर्क तथा एअरबोर्न सावधानी के लिए)

1. पी.पी.ई. किट

1.1 दस्ताने

- नाइट्रइल
- गैर-विसंक्रमित/कीटाणुरहित
- पाउडर रहित
- बाहर वाले दस्ताने कम से कम मध्य बांह तक पहुंचे (न्यूनतम लंबाई 280 मी.मी. की हो)
- विभिन्न माप (6.5 और 7)
- गुणवत्ता निम्न मानकों या समकक्ष के अनुसार हो:-
 - a. EU standard directive 93/42/EEC class I, EN 455
 - b. EU standard directive 89/686/EEC Category III, EN 374
 - c. ANSI/SEA 105-2011
 - d. ASTM D6319-10

1.2 कवरऑल (मध्यम एवं बड़े)

- रक्त एवं अन्य शारीरिक श्राव हेतु अपारगम्य
- एक बार ही उपयोग में लाया जा सके
- अस्वीकार्य रंगों को उपयोग में नहीं लाए – जैसे काला रंग
- प्राथमिक तौर पर हल्के रंग उपयोग में लाए जिससे आसानी से सम्भावित मैलेपन (गंदा होना) दिखाई दे
- अंगूठा या उंगली लूप हो जिससे आस्तीन को यथा स्थान रखने में सहारा मिल सकें
- गुणवत्ता निम्न मानकों के अनुसार या इसके समान हो:-
 - a. Meets or exceeds ISO 16603 class 3 exposure pressure, or equivalent

1.3 चश्में (गॉगल्स)

- आर-पार दिखाई देने वाले कॉच, शून्य पावर, अच्छे से फिट होने वाले, सभी सतहों पर Elastic Band अथवा Adjustable Holder से ढका हुआ।
- चेहरे की त्वचा को अच्छे से चिपक सके
- लचीला फ्रेम जो कि हर तरह से चेहरे के आकार के बिना अधिक ताकत लगाएं आसानी से फिट हो सके
- कोहरे, भाप एवं खरोंच प्रतिरोधी
- फ्रेम, जो कि आवश्यकतानुसार सेट किया जा सके जिससे कार्य करते वक्त चश्मा ढीला न पड़े
- अप्रत्यक्ष रूप से हवा को बाहर निकलना जिससे इस पर कोहरा ना जम सके।
- एक से अधिक बार उपयोग में लिए जा सके तथा आसानी से विसंक्रमित किया जा सके अथवा एक बार में आने योग्य

गुणवत्ता निम्न मानको के अनुसार या इसके सामान हो—

a. EU standard directive 86/686/EEC, EN 166/2002

b. ANSI/SEA Z87.1-2010

1.4 एन-95 मास्क

- आकार, ऐसा कि आसानी से विकृत ना हो सके।
- बहुत अधिक छानने की क्षमता
- आसानी से सांस ली जा सके, साथ की सांस बाहर करते समय बाहरी वाल्व का होना
- चिकित्सकीय एन-95 रेस्पिरैटर की गुणवत्ता निम्न मानको के अनुसार या इसके सामान हो
 - a. NIOSH N95, EN 149FFP2, or equivalent
 - Fluid Resistance: Minimum 80 mmHf pressure based on ASTM F1862, ISO 22609, or Equivalent
 - पार्टिकुलेट रेस्पिरैटर जो मानको के अनुरूप हो और जो चेहरे को पूरा ढकने हेतु उपयोगी हों।

1.5 जूतों को ढकने हेतु कवर:—

- उसी वस्तु (कपड़े) से बनाए जाए जिससे कि कवरऑल बनाए गए है
- पूरे जूते को ढके तथा टखने तक ढके

1.6 फेस शील्ड

- साफ प्लास्टिक की बनी हुई हो जिससे पहनने वाले और रोगी आपस में एक-दूसरों को आसानी से देख सके
 - एडजस्टेबल बैंड मौजूद हो —सिर को चारों ओर से मजबूती से बांधने के लिए और माथे के साथ अच्छी तरह से फिट हो जाए
 - विशेषतः कोहरे में खराब न हो (कोहरा प्रतिरोधी हो)
 - चेहरे को पूरी लम्बाई से और दोनों तरफ या साईड से पूरी तरह से ढक सके
 - पुनः प्रयोग किया जा सकता है (ऐसी सामग्री से बना हो जिसे साफ और कीटाणुरहित किया जा सके)
 - गुणवत्ता निम्न मानको के अनुसार या इसके सामान हो:—
 - a. EU standard directive 86/686/EEC, EN 166/2002
 - b. b. ANSI/SEA Z87.1-2010

3. ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क (तीन परतीय चिकित्सीय मास्क)

- ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क (तीन परतो वाला चिकित्सकीय मास्क) जो कि बुना हुआ ना हो एवं नोज पीस के साथ हो, साथ ही 3 माइक्रोन तक के कणों को 99 प्रतिशत तक छानने की क्षमता रखे
- आई.एस.आई. (ISI) मानक के अनुसार हो

4. दस्ताने

- नाइट्रइल
- गैर-विसंक्रमित/कीटाणुरहित
- पाउडर रहित
- बाहर वाले दस्ताने कम से कम मध्य बांह तक पहुंचे (न्यूनतम लंबाई 280 मी.मी. की हो)
- विभिन्न माप (6.5 और 7)
- गुणवत्ता निम्न मानकों या समकक्ष के अनुसार हो:-
 - a. EU standard directive 93/42/EEC class I, EN 455
 - b. EU standard directive 89/686/EEC Category III, EN 374
 - c. ANSI/SEA 105-2011
 - d. ASTM D6319-10

5. मृत शरीर को रखने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले बॉडी बैग (Body Bags) के मानक:-

- 1) अपारगम्य (Impermeable)
- 2) रिसाव ना हो सके (Leak proof)
- 3) हवा भी अंदर नहीं आ-जा सके (Air sealed)
- 4) दोहरी सील वाले (Double sealed)
- 5) एक बार उपयोग में आने वाले (Disposable)
- 6) अआर-पार देखा ना जा सके (Opaque)
- 7) सफेद रंग के (White)
- 8) यू आकार के एवं जिप के साथ (U shape with Zip)
- 9) 4/6 grips
- 10) आकार : 2.2 X 1.2 मीटर

मानक:

- a. ISO 16602:2007
- b. ISO 16603:2004
- c. ISO16604:2004
- d. ISO/DIS 22611:2003

ये सभी उपकरण मानको के अनुसार, आवश्यक रूप से राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय संस्था अथवा लैब द्वारा जांच के बाद ही प्रमाण-पत्र के साथ ही वितरित किए जाने चाहिए।

सभी सामग्री :- वैद्यता समाप्ति 5 सालों में

Coverall कवरऑल की कमी, और जोखिम बनाम लाभ के कारण, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित में एक आपातकालीन अस्थायी उपाय के रूप में, वर्तमान परिस्थितियों में, वह कपड़ा जो 'सिंथेटिक रक्त प्रवेश प्रतिरोध परीक्षण' (आईएसओ 16603), 'जैविक रूप से दूषित ठोस कणों (आईएसओ 22612: 2005) द्वारा पैठ के प्रतिरोध को Coveralls कवरऑल के निर्माण के लिए बेंचमार्क विनिर्देश के रूप में माना जा सकता है। " द्रव / बूंदों / एरोसोल प्रविष्टि को रोकने के लिए आवरणों को सीम पर टेप किया जाना चाहिए।

इन दो मानकों (आईएसओ 16603 और आईएसओ 22612: 2005) के लिए परीक्षण, जो भारतीय प्रयोगशालाओं में किए जा सकते हैं, डब्ल्यूएचओ रोग कमोडिटी पैकेज (संस्करण 4.0) के अनुसार हैं।